# योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली | भोपाल | विजयवाड़ा

एसपीए अधिनियम 2014 के तहत स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान

**शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार**

## योजना और वास्तुकला के लिए संयुक्त प्रवेश – स्नातकोत्तर (जेएएपी-पीजी) 2025

https://jaappg.admissions.nic.in

शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए तीन संस्थानों — अर्थात्; योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल तथा योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा — में संचालित विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

| तीनों योजना तथा वास्तुकला विद्यालयों (एसपीए ) में संचालित स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम | एसपीए के लिए सीट मैट्रिक्स | | |
|---|---|---|---|
| | दिल्ली | भोपाल | विजयवाड़ा |
| • वास्तुकला में स्नातकोत्तर (वास्तुकला संरक्षण) | 25 | 25 | 20 |
| • वास्तुकला में स्नातकोत्तर (भू-दृश्य वास्तुकला) | 29 | 25 | 25 |
| • वास्तुकला में स्नातकोत्तर (नगर अभिकल्पना) | 25 | 25 | 25 |
| • वास्तुकला में स्नातकोत्तर (सतत् वास्तुकला) | - | - | 35 |
| • भवन अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर | 39 | 25 | 35 |
| • अभिकल्प में स्नातकोत्तर (औद्योगिक अभिकल्पना)** या अभिकल्प में स्नातकोत्तर* **नई दिल्ली एवं भोपाल संस्थानों में उपलब्ध *विजयवाड़ा संस्थान में उपलब्ध | 29 | 25 | 25 |
| • योजना में स्नातकोत्तर (पर्यावरण योजना)** या योजना में स्नातकोत्तर (पर्यावरण योजना एवं प्रबंधन)* **नई दिल्ली एवं भोपाल संस्थानों में उपलब्ध *विजयवाड़ा संस्थान में उपलब्ध | 25 | 25 | 25 |
| • योजना में स्नातकोत्तर (क्षेत्रीय योजना) | 25 | - | - |
| • योजना में स्नातकोत्तर (नगर एवं क्षेत्रीय योजना) | _ | 38 | 40 |
| • योजना में स्नातकोत्तर (परिवहन योजना)** या योजना में स्नातकोत्तर (परिवहन योजना एवं लॉजिस्टिक्स प्रबंधन)* **नई दिल्ली एवं विजयवाड़ा संस्थानों में उपलब्ध *नई दिल्ली संस्थान में उपलब्ध | 29 | 25 | 25 |
| • योजना में स्नातकोत्तर (नगर योजना) | 39 | - | - |
| • योजना में स्नातकोत्तर (आवास) | 29 | - | - |

**न्यूनतम अर्हक अंक:** पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को कम से कम 55% अंक या 6.0 सीजीपीए प्राप्त होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा दिव्यांग (PwD) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकता 50% अंक या 5.5 सीजीपीए निर्धारित है।

**आवेदक योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, भोपाल एवं विजयवाड़ा की आधिकारिक वेबसाइटों पर पाठ्यक्रम संबंधी विवरण देख सकते हैं।**

**चयन मापदंड:**
अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित आधारों पर किया जाएगा:

1. पात्रता परीक्षा में प्रदर्शन;
2. *वैध गेट (GATE)/सीड (CEED)/यूजीसी-नेट (UGC-NET) स्कोर (यदि लागू हो);
3. व्यक्तिगत साक्षात्कार/प्रत्यक्ष संवाद; तथा
4. कार्य अनुभव।

विस्तृत जानकारी के लिएJAAP PG 2025 की आधिकारिक वेबसाइट (https://jaappg.admissions.nic.in/) से प्राप्त करें।

**महत्वपूर्ण तिथियां**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि** | 07 मई 2025 |
| 2. | **भुगतान लिंक सक्रिय होने की तिथि** | 09 मई 2025 |
| 3. | **आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि** | 30 मई 2025 |
| 4. | **प्रत्यक्ष संवाद के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन** | 04 जून 2025 |
| 5. | **प्रत्यक्ष संवाद (SPA दिल्ली में आयोजित किया जाएगा; इसमें साक्षात्कार, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, समूह चर्चा, विशिष्ट विषय पर निबंध लेखन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस (SoP) तथा परीक्षा आदि सम्मिलित हो सकते हैं)** | 16 जून 2025 – 21 जून 2025 |
| 6. | **परिणाम की घोषणा / रैंक सूची का प्रकाशन** | 26 जुलाई 2025 |
| 7. | **सीट आबंटन एवं विभिन्न चरणों की काउंसलिंग** | 26 जून 2025 से 23 जुलाई 2025 तक |
| 8. | **विशेष चरण की काउंसलिंग संबंधी सूचना का प्रकाशन** | 27 जुलाई 2025 |
| 9. | **दस्तावेज़ों का भौतिक सत्यापन (आवंटित संस्थानों में व्यक्तिगत रूप से) एवं कक्षाओं का आरंभ** | **संबंधित संस्थानों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रदर्शित तिथियों के अनुसार** |

**सामान्य निर्देश:**

1. भारतीय नागरिकों हेतु आवेदन शुल्क ₹3,000/- (वापसी योग्य नहीं) निर्धारित है। आरक्षित श्रेणियों अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा दिव्यांगजन (PwD) वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹1,500/- (वापसी योग्य नहीं) निर्धारित है।
2. विदेशी नागरिक/ एनआरआई/ पीआईओ/ ओसीआई जो किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें DASA 2025 पोर्टल के माध्यम से पृथक रूप से आवेदन करना होगा।
3. अभ्यर्थी पात्रता के अनुसार किसी भी संस्थान में आवेदन किए गए पाठ्यक्रम हेतु इच्छानुसार विकल्प चुन सकते हैं।
4. कश्मीरी प्रवासियों हेतु आरक्षित सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधित संस्थान की कुल सीटों के अतिरिक्त नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
5. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों हेतु 5% सीटें क्षैतिज आधार पर आरक्षित हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित द्रिव्यांग (PwD)आरक्षण प्रावधानों के अनुसार आरक्षण सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) की आरक्षित सीटों के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा,
6. संस्थान अपनी कुल स्वीकृत क्षमता से अधिकतम 10% सीटों को अधिसंख्य (supernumerary) सीटों के रूप में आरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं।
7. GATE/UGC-NET या CEED में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके पास वैध स्कोर कार्ड हो, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।
8. संस्थान किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
9. उल्लेखित सभी तिथियाँ परिवर्तन के अधीन हो सकती हैं।
10. अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी प्री-फाइनल वर्ष तक की अंकतालिका/ट्रांसक्रिप्ट/ग्रेडशीट जमा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में प्रवेश अस्थायी रूप से प्रदान किया जाएगा, जो अंतिम परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने पर पात्रता की पुष्टि के अधीन होगा।
11. सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से प्रायोजित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थियों के चयन मानदंड में चयन समिति द्वारा उपयुक्तता के आधार पर विशेष छूट दी जा सकती है।इन अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थानों की वेबसाइटों के माध्यम से पृथक रूप से आवेदन करना होगा।
12. किसी भी स्पष्टीकरण हेतु अभ्यर्थी निम्नलिखित ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं: jaappg2025@spa.ac.in

कुलसचिव, एसपीए, दिल्ली
जेएएपी पीजी 2025, मेजबान संस्थान

***